

345

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निम्न-4431-II-13

श्री काट-नम. सं. 2012/2011
द्वारा आज दि. 2-12-13 को प्रकरण क्रमांक

/2013 निगरानी

प्रस्तुत क. 9-12-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. लखनलाल शुक्ल पुत्र श्री देवकी नंदन शुक्ल
2. चन्द्रिका प्रसाद शुक्ल पुत्र श्री देवकीनंदन शुक्ल
3. लवकुश प्रसाद शुक्ल पुत्र स्व श्री देवकीनंदन शुक्ल
4. श्रीमती सरोज शुक्ल वेवा विद्याधर शुक्ल

द्वारा मुख्यालय आम चन्द्रिका प्रसाद शुक्ल, समस्त
निवासीगण-ग्राम बाल्हा, तहसील विरसिंहपुर, जिला सतना
हाल निवास-राजेन्द्र नगर गली नं0 10 सतना

.....आवेदकगण

बनाम

1. शत्रुञ्जय कुमार पुत्र लाल जी, निवासी-ग्राम बाल्हा
तहसील विरसिंहपुर, वृत्त जैतवारा जिला सतना
2. मध्य प्रदेश शासनअनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय
तहसीलदार तहसील विरसिंहपुर वृत्त जैतवारा, जिला सतना,
द्वारा प्रकरण क्रमांक 4अ-12/2012-13 में पंचनामा दिनांक 11.
11.12 एवं आदेश दिनांक 15.11.12 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

महोदय,


- 2 -
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला-सतना

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-4431-दो/2013

लखनलाल शुक्ल आदि विरुद्ध शत्रुन्जय कुमार व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12-03-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से श्री आर.एस. सेंगर अभिभाषक उपस्थित ।3. यह निगरानी तहसीलदार, तहसील विरसिंहपुर वृत्त जैतवारा, जिला-सतना के प्र. क्र. 4/अ-12/2012-13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 15-11-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।4. म.प्र. मू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये।	


(आर.के. जैन)
सदस्य